—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मारूफ पंवार —— प्रार्थी
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा ——अप्रार्थी संख्या 6
3. श्री रविन्द्र सिंह ——अप्रार्थी संख्या 4—5—10

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 19/05/2026

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मारूफ पंवार द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण आशा है ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी है। इस कारण प्रार्थीया का पैतृक सम्पति में बतौर सहदायिक जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सरलतापूर्वक समझने हेतु प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के परस्पर सम्बन्धों को दर्शाते हुये सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

सजरा खानदान के अनुसार अप्रार्थी स. 1 दर्शनसिंह प्रार्थीया का पिता है व अप्रार्थी स. 4 व 5 प्रार्थीया के भाई हैं, अप्रार्थीगण सं. 2,3 भतीजे, अप्रार्थीया सं. 6 भतीजे की पत्नी, व अप्रार्थीया सं. 8 ता 10 प्रार्थीया की भतीजीयां हैं। प्रार्थीया के दादा हजूरासिंह की अर्सा पूर्व मृत्यु हो चुकी है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एसजीआर के खाता सं. 47 के प.नं. 3/300 (9) के किला नं. 1/1 ता 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/1, 13/1,14/1, 15/1, प. नं. 7/305 (34) के किला नं. 23/2, 24/1, प.नं. 7/306 (35) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, प.नं. 7/307 (40) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल तादादी 8.374 हैक. नहरी म.गै.मु. में से 2.770 हैक. मय गैरमुमकिन कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–75 दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 को अपने पिता हजुरसिंह की मृत्यु के पश्चात् विरासतन प्राप्त हुई थी। फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी विक्रमी सम्वत 2072–75 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एसजीआर के खाता सं. 47 के प. नं. 3/300 (9) के किला नं. 1/1 ता 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, प. नं. 7/305 (34) के किला नं. 23/2, 24/1, प.नं. 7/306 (35) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, प.नं. 7/307 (40) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल तादादी 8.374 हैक. नहरी म.गै.मु. मे से अप्रार्थी सं. 1 की 2.770 हैक. कृषि भूमि में से वर्तमान में अप्रार्थी सं. 3 निहारमनसिंह के नाम 1429/16748 हिस्सा व अप्रार्थी सं.6 मनिन्द्र कौर के नाम 2517/16748 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व अभिलेख है। फोटो प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थीया के दादा श्री हजूरा सिंह के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी जिनके देहान्त के पश्चात वादग्रस्त रकबा उनके पुत्रों के नाम से इन्द्राज हुई। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीया के दादा श्री हजूरा सिंह से प्राप्त कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीया का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। अवलोकनार्थ जमाबन्दी प्रति हजूर सिंह व दर्शन सिंह सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीया के दादा श्री हजूरा सिंह के देहान्त के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 को लगभग 16 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई और अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पैतृक कृषि भूमि मे से 6 बीघा कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम शेष रही कृषि भूमि मे प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 4 व 5 का 1/4 हक व हिस्सा जन्म से ही निहित हो चुका है। प्रार्थीया के 1ध्4 हक व हिस्सा की कृषि भूमि को राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाने के लिए परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों द्वारा कई बार पंचायते की गई और पंचायत में यह तय किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीया का 1/4 हक व हिस्सा होगा और उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज अप्रार्थी सं 1 द्वारा करवाया जायेगा लेकिन अप्रार्थी सं. 2–3 जो कि चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति है ने अप्रार्थी स. 4 व 5 के साथ मिलीभगत व साठ–गांठ करके प्रार्थीया को अंधेरे मे रखते हुए अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि अकेले अप्रार्थी स.2 व 3 के नाम से राजस्व अभिलेख मे तथाकथित दस्तावेज के जरिये इन्द्राज करवा ली जो कि प्रार्थीया के अधिकारों पर शून्य व निष्प्रभावी है।

यह कि अप्रार्थी स. 2 व 3 के मन में बेजा लालच पैदा हो गया है व इसी लालच के वशीभूत होकर प्रार्थीया को उसकी पैतृक कृषि भूमि के हक व हिस्सा से महरूम करने के आशय से अप्रार्थी स. 2 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी स.6 के साथ आपस में दुर्भिसंधि कर अपनी समस्त कृषि भूमि का मशनुई दान पत्र दिनांक 08.04.2024 को निष्पादित कर उपपंजीयक पीलीबंगा से

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पंजीयन करवाया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की पेतृक कृषि भूमि में प्रार्थीया के 1⁄4 हक व हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए विधि द्वारा आबद्व थे तथा अप्रार्थीगण का यह विधिक दायित्व है कि वह प्रार्थीया की पेतृक कृषि भूमि में प्रार्थीया के 1/4 हक व हिस्सा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा देवे, परन्तु ऐसा न कर अप्रार्थी सख्या 2 ने प्रार्थीया को अंधेरे में रखकर गुपचुप तरीके से अप्रार्थी स.6 के पक्ष में अपनी समस्त कृषि भूमि तथाकथित दस्तावेज के जरिये दान कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा दी तथा अप्रार्थी स.3 ने भी अपने पैतृक हिस्सा से अधिक कृषि भूमि अन्य व्यक्ति को बैय कर दी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि थी, जिसमें प्रार्थीया के 1/4 हिस्सा यानि 0.693 हैक. का हक व हिस्सा निहित था, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा परस्पर दूर्भि संधि करते हुए व प्रार्थीया का हक व हिस्सा मारने की गरज से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का दान पत्र अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में कर दिया व अप्रार्थी सं. 2 द्वारा भी तथाकथित दान–पत्र के आधार पर अपने हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि को दान–पत्र अप्रार्थी सं. 6 मनिन्द्र कौर के हक में निष्पादित करवा दिया तथा अप्रार्थी सं. 3 द्वारा भी अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि का जरिये बैयनामा बैचान किया जा चुका है। इस कारण वर्तमान में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया अपने 1/4 हिस्सा यानि .693 हैक. के अनुसार अप्रार्थीगण का नाम कलमजन करवाकर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 व 6 के नाम से दर्ज है और अप्रार्थीगण एक राय है और अप्रार्थीगण अपने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का नाजायज फायदा उठाने पर आमादा है तथा प्रार्थीया के हक व हिस्सा को हर प्रकार से खुर्द बुर्द करने की फिराक मे है। अप्रार्थी सं. 3 व 6 गलत संगत के व्यक्यिों के सम्पर्क में है। प्रार्थीया के पास वादग्रस्त रकबा के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है और आय का अन्य कोई स्त्रोत नही है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि को रहन, अस्थाई व्यादेश बैय व अन्य तरीके से अन्तरित करने से निषिद्ध रहें। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है कि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एसजीआर के खाता सं. 47 के प.नं. 3/300 (9) के किला नं. 1/1 ता 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/1, 13/1,14/1, 15/1, प. नं. 7/305 (34) के किला नं. 23/2, 24/1, प.नं. 7/306 (35) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, प.नं. 7/307 (40) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल तादादी 8.374 हैक. नहरी म.गै.मु. मे से अप्रार्थी सं. 3 के नाम 1429/16748 हिस्सा व अप्रार्थी स.6 के नाम 2517/16748 हिस्सा कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने से निषेद्व रहे ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण ता फैसला पाद पत्र इस आशय की जारी की जावें कि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एसजीआर के खाता सं. 47 के प.नं. 3/300 (9) के किला नं. 1/1 ता 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/1, 13/1,14/1, 15/1, प. नं. 7/305 (34) के किला नं. 23/2, 24/1, प.नं. 7/306 (35) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, प.नं. 7/307 (40) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल तादादी 8.374 हैक. नहरी म.गै.मु. मे से अप्रार्थी सं. 3 के नाम 1429/16748 हिस्सा व अप्रार्थी स.6 के नाम 2517/16748 हिस्सा कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने से निषेद्व रहे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। वास्ते तामिल नोटिस जारी किये गए अप्रार्थी संख्या 4,5, 10 की ओर से श्री रविन्द्र सिंह अधिवक्ता हाजिर आये जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया है। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा हाजिर जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है–

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन सजरा खानदान से सम्बधिंत है जो प्रार्थीया स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। जिसमें मिन अप्रार्थी का 2517/16748 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो मिन अप्रार्थी को अपने पति अमनदीप सिंह पुत्र हरबंश सिंह से जरिये दान पत्र प्राप्त हुआ है। इसलिये उक्त वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स्वंय की अर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी सं.1 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि में से मिन अप्रार्थी के पति अमनदीप सिंह को जरिये पंजीकृत दान पत्र दिनांक 17.09.2021 को अपनी भूमि में से 1.265 हैक. भूमि दान की गई थी। जो मिन अप्रार्थी के पति के कब्जा काश्त में थी । मिन अप्रार्थी के पति के द्वारा अपने नाम वर्णित कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी को जरिये दान पत्र दान की गई है। प्रार्थीया के शेष कथन अविधि क, असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है क्योंकि मिन अप्रार्थी के पति अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज भूमि का पंजीकृत दान पत्र दिनांक 08.04.2024 को उप पंजीयक पीलीबंगा में मिन अप्रार्थी के पक्ष में पंजीयन करवाया गया है जिसमें प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही मारा गया है ना ही प्रार्थीया को किसी हक व हिस्सा से वचिंत किया गया है। मिन अप्रार्थी को प्राप्त भूमि स्वअर्जित श्रेणी की भूमि है जिसमें प्रार्थीया कोई किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी को प्राप्त कृषि भूमि में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही बनता है ना ही किसी प्रकार की मेरे हिस्सा में से घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है। मिन अप्रार्थी के पति अमनदीप सिंह को दान में प्राप्त कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी को दान की गई है जो एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसमें प्रार्थीया किसी प्रकार के हक व हिस्सा पाने की अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित भूमि जो अप्रार्थी सं. 3 व 6 के नाम से है जिसमें प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही बनता है ना ही मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा बनता है। इसलिये वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का कोई भी हक व हिस्सा नही है, हक व हिस्सा न होने के कारण प्रार्थीया को कोई किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये प्रार्थीया द्वारा झूठे व मनगढ़त कथन अकिंत किये गये है। प्रार्थीया मिन अप्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने की हकदार है। प्रार्थीया का दावा काबिल खारिज के है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवकता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई लिखित बहस प्रार्थीया की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत है–

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण आशा व ठोस आधार है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी है। इस कारण प्रार्थीया का पैतृक सम्पति में बतौर सहदायिक जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सरलतापूर्वक समझने हेतु प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के परस्पर सम्बन्धों को दर्शाते हुये सजरा खानदान प्रस्तुत किया हुआ है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार अप्रार्थी स. 1 दर्शनसिंह प्रार्थीया का पिता है व अप्रार्थी स. 4 व 5 प्रार्थीया के भाई हैं, अप्रार्थीगण सं. 2,3 भतीजे, अप्रार्थीया सं. 6 भतीजे की पत्नी, व अप्रार्थीया सं. 8 ता 10 प्रार्थीया की भतीजीयां हैं। प्रार्थीया के दादा हजूरासिंह की अर्सा पूर्व मृत्यु हो चुकी है।

अप्रार्थी स. 1 के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एसजीआर के खाता सं. 47 कुल तादादी 8.374 हैक. नहरी म.गै.मु. में से 2.770 हैक. मय गैरमुमकिन कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–75 दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी स.1

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

को अपने पिता हजुरसिंह की मृत्यु के पश्चात् विरासतन प्राप्त हुई थी। उक्त वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एसजीआर के खाता सं. 47 कुल तादादी 8.374 हैक. नहरी म. गै. मु. मे से अप्रार्थी सं. 1 की 2.770 हैक. कृषि भूमि में से वर्तमान में अप्रार्थी सं. 3 निहारमनसिंह के नाम 1429/16748 हिस्सा व अप्रार्थी सं.6 मनिन्द्र कौर के नाम 2517/16748 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थीया के दादा श्री हजूरा सिंह के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी जिनके देहान्त के पश्चात वादग्रस्त रकबा उनके पुत्रों के नाम से इन्द्राज हुई। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीया के दादा श्री हजूरा सिंह से प्राप्त कृ षि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीया का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है।

प्रार्थीया के दादा श्री हजूरा सिंह के देहान्त के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 को लगभग 16 बीघा कृ षि भूमि प्राप्त हुई और अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पैतृक कृषि भूमि मे से 6 बीघा कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम शेष रही कृषि भूमि में प्रार्थीया का अप्रार्थी सं. 4 व 5 के साथ 1ध्4 हक व हिस्सा जन्म से ही निहित हो चुका है। प्रार्थीया के 1ध्4 हक व हिस्सा की कृषि भूमि को राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाने के लिए परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों द्वारा कई बार पंचायते की गई और पंचायत में यह तय किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया का 1ध्4 हक व हिस्सा होगा और उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज अप्रार्थी सं 1 द्वारा करवाया जायेगा लेकिन अप्रार्थी सं. 2–3 जो कि चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति है ने अप्रार्थी स.4 व 5 के साथ मिलीभगत व साठ–गांठ करके प्रार्थीया को अंधेरे मे रखते हुए अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि अकेले अप्रार्थी स.2 व 3 के नाम से राजस्व अभिलेख मे तथाकथित दस्तावेज के जरिये इन्द्राज करवा ली जो कि प्रार्थीया के अधिकारों पर शून्य व निष्प्रभावी है।

अप्रार्थी स. 2 व 3 के मन में बेजा लालच पैदा हो गया है व इसी लालच के वशीभूत होकर प्रार्थीया को उसकी पैतृक कृषि भूमि के हक व हिस्सा से महरूम करने के आशय से अप्रार्थी स. 2 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी स.6 के साथ आपस में दुर्भिसंधि कर अपनी समस्त कृषि भूमि का मशनुई दान पत्र दिनांक 08.04.2024 को निष्पादित कर उपपंजीयक पीलीबंगा से पंजीयन करवाया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की पेतृक कृषि भूमि में प्रार्थीया के 1/4 हक व हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए विधि द्वारा आबद्व थे तथा अप्रार्थीगण का यह विधिक दायित्व है कि वह प्रार्थीया की पेतृक कृषि भूमि में प्रार्थीया के 1/4 हक व हिस्सा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा देवे, परन्तु ऐसा न कर अप्रार्थी सख्या 2 ने प्रार्थीया को अंधेरे में रखकर गुपचुप तरीके से अप्रार्थी स.6 के पक्ष में अपनी समस्त कृषि भूमि तथाकथित दस्तावेज के जरिये दान कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा दी तथा अप्रार्थी स.3 ने भी अपने पैतृक हिस्सा से अधिक कृ षि भूमि अन्य व्यक्ति को बैय कर दी है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि थी, जिसमें प्रार्थीया के 1ध्4 हिस्सा यानि 0.693 हैक. का हक व हिस्सा निहित था, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा परस्पर दुर्भि संधि करते हुए व प्रार्थीया का हक व हिस्सा मारने की गरज से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का दान पत्र अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में कर दिया व अप्रार्थी सं. 2 द्वारा भी तथाकथित दान–पत्र के आधार पर अपने हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि को दान–पत्र अप्रार्थी सं. 6 मनिन्द्र कौर के हक में निष्पादित करवा दिया तथा अप्रार्थी सं. 3 द्वारा भी अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि का जरिये बैयनामा बैचान किया जा चुका है। इस कारण वर्तमान में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया अपने 1/4 हिस्सा यानि 693 हैक. के अनुसार अप्रार्थीगण का नाम कलमजन करवाकर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 व 6 के नाम से दर्ज है और अप्रार्थीगण एक राय है और अप्रार्थीगण अपने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का नाजायज फायदा उठाने पर आमादा है तथा प्रार्थीया के हक व हिस्सा को हर प्रकार से खुर्द बुर्द करने की फिराक मे है। अप्रार्थी सं. 3 व 6 गलत संगत के व्यक्यिों के सम्पर्क मे है। प्रार्थीया के पास वादग्रस्त रकबा के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है और आय का अन्य कोई स्त्रोत नही

सहायक कलक्टर एवं

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 4

... :- 2076 - 2079

... 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी

है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबों मे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि को रहन, बैय व अन्य तरीके से अन्तरित करने से निषिद्ध रहें। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है कि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एसजीआर के खाता सं. 47 की कुल तादादी 8.374 हैक. नहरी म.गै.मु. मे से अप्रार्थी सं. 3 के नाम 1429/16748 हिस्सा व अप्रार्थी स.6 के नाम 2517/16748 हिस्सा कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने से निषेद्व रहे । 2. यह कि प्रार्थीया के वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा देने हेतु तीनों आवश्यक तत्व पूर्ण रूप से स्थापित होते हैं–

क. प्रथम दृष्टया मामलाः– वादग्रस्त भूमि निर्विवाद रूप से पैतृक संपत्ति है, यह भूमि मूलतः वादी के दादा हजूरा सिंह के नाम दर्ज थी उनके देहांत के बाद यह विरासत में प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई अतः यह संपत्ति ncestral property है, कानून स्पष्ट है कि मिताक्षरा विधि में पुत्री को भी जन्म से coparcener का अधिकार है, इसलिए वादीया का 1/4 हिस्सा है।

प्रतिवादी के दान पत्र का खंडन महोदय, प्रतिवादी सं.6 का पूरा बचाव इस आधार पर भूमि दान में मिली, इसलिए self-acquired है यह तर्क पूरी तरह गलत है, क्योंकि जो संपत्ति पैतृक है, उसका स्वरूप दान से नहीं बदलता कोई भी coparcener अपने हिस्से से अधिक बिना legal necessity दान नहीं कर सकता, ऐसा ट्रांसफर अन्य सहभोजियों के विरुद्व voidable है इसलिए प्रतिवादी सं.2 व 6 का दान पत्र वादीयां के अधिकारों के विरुद्व शून्य अप्रभावी है।

ख. यह कि सुविधा का संतुलन– महोदय, प्रतिवादीगण पहले ही दान पत्र कर चुके हैं भूमि बेचने के प्रयास में हैं यदि रोका नहीं गया तो तीसरे पक्ष के अधिकार बन जाएंगे जिस वादीया का वाद जटिल और निष्फल हो जाएगा।

ग. यह कि अपूरणीय क्षतिः– वादीया के पास अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, यदि भूमि ट्रांसफर हो गई तो वादीया को स्थायी नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं प्रतिवादी का आचरण वादीया को अंधेरे में रखकर मिलीभगत से अपने हिस्से से अधिक भूमि ट्रांसफर की गई Fraud से प्राप्त लाभ कानून में मान्य नहीं है, प्रतिवादीगण का आचरण स्पष्ट रूप से दुराशयपूर्ण (mala fide) है।

यह कि जवाब–दावा का सीधा खंडन प्रतिवादी सं.6 ने कहा है कि self acquired जबकि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि यह विरासत से प्राप्त पैतृक संपत्ति है, जिसमें वादीया का जन्म से हक व हिस्सा है, यदि प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वादीया का अधिकार समाप्त हो जाएगा, इसलिए जवाब दावा केवल टालमटोल और भ्रामक है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यों व विधिक स्थिति को देखते हुए विनम्र निवेदन है कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्व अप्रार्थीगण ता फैसला प्रार्थीया इस आशय की जारी की जावें कि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एसजीआर के खाता सं. 47 के प.नं. 3/300 (9) के किला नं. 1/1 ता 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/1, 13/1,14/1, 15/1, प. नं. 7/305 (34) के किला नं. 23/2, 24/1, प.नं. 7/306 (35) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, प.नं. 7/307 (40) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल तादादी 8.374 हैक. नहरी म.गै.मु: मे से अप्रार्थी सं. 3 के नाम 1429/16748 हिस्सा व अप्रार्थी स.6 के नाम 2517/16748 हिस्सा कृषि भूमि को विक्रय करने, दान करने, अथवा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने, रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने से वाद के अंतिम निर्णय तक रोका जाए Temporary Injunction granted किया जाए । यदि इस अवस्था में निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो वाद निरर्थक हो जाएगा और वादीया को अपूरणीय क्षति होगी, न्यायहित में यथास्थिति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से लिखित बहस अप्रार्थीया स.6 की ओर निम्न प्रकार से है–

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की सम्भावना नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन सजरा खानदान से सम्बधिंत है जो प्रार्थीया स्वंय सिद्ध करे । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। जिसमें मिन

अप्रार्थी का 2517/16748 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो मिन अप्रार्थी को अपने पति अमनदीप सिंह पुत्र हरबंश सिंह से जरिये दान पत्र प्राप्त हुआ है। इसलिये उक्त वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स्वंय की अर्जित भूमि की श्रेणी में आती हैं। प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि में से मिन अप्रार्थी के पति अमनदीप सिंह को जरिये पंजीकृत दान पत्र दिनांक 17.09.2021 को अपनी भूमि में से 1. 265 हैक. भूमि दान की गई थी। जो मिन अप्रार्थी के पति के कब्जा काश्त में थी। मिन अप्रार्थी के पति के द्वारा अपने नाम वर्णित कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी को जरिये दान पत्र दान की गई है। प्रार्थीया के शेष कथन अविधिक, असत्य व मनगढत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है क्योंकि मिन अप्रार्थी के पति अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज भूमि का पंजीकृत दान पत्र दिनांक 08.04.2024 को उप पंजीयक पीलीबंगा में मिन अप्रार्थी के पक्ष में पंजीयन करवाया गया है जिसमें प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही मारा गया है ना ही प्रार्थीया को किसी हक व हिस्सा से वचिंत किया गया है। मिन अप्रार्थी को प्राप्त भूमि स्वअर्जित श्रेणी की भूमि है जिसमें प्रार्थीया कोई किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी को प्राप्त कृषि भूमि में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही बनता है ना ही किसी प्रकार की मेरे हिस्सा में से घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है। मिन अप्रार्थी के पति अमनदीप सिंह को दान में प्राप्त कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी को दान की गई है जो एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसमें प्रार्थीया किसी प्रकार के हक व हिस्सा पाने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित भूमि जो अप्रार्थी सं. 3 व 6 के नाम से है जिसमें प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही बनता है ना ही मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा बनता है। इसलिये वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का कोई भी हक व हिस्सा नही है, हक व हिस्सा न होने के कारण प्रार्थीया को कोई किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नहीं हो रही है मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये प्रार्थीया द्वारा झूठे व मनगढ़त कथन अकिंत किये गये है। प्रार्थीया मिन अप्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश प्राप्त करने की हकदारनही है। प्रार्थीया का प्रार्थना काबिल खारिज के है अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है किं प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है या नहीं चुंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति है, यह प्रार्थीया द्वारा वाद में साबित किया जाना है यदि पैत्रक संम्पति है तो वादिया को जन्म से हक्क हिस्सा निहित है इस लिए प्रथम दृष्टया वर्णित वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक संपति के सम्बंध में निर्णय वाद पत्र में किया जाना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वाद पत्र निर्णय तक प्रार्थीया के पक्षा में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन** :–अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि यदि प्रश्नगत रकबा का बैचान/दान अन्य को किया जाता है तो वाद पत्र निर्णय में जटिलता उत्पन्न होगी जिससे प्रार्थीया को असुविधा जैसी स्थिति प्रकट होती है अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी पक्ष में प्रार्थीया के साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादीया के पास अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है तथा प्रार्थीया द्वारा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं बताया गया है, यदि प्रश्नगत रकबा वादिया का हक्क हिस्सा वाद पत्र में साबित होता है तो उससे पूर्व भूमि ट्रांसफर की गई तो वादीया को स्थायी नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने से स्वीकार किया जाता है अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.24 तादावा ता फैसला तक निरंतर की जाती है।

निर्णय आज दिनाकं 19/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा